



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 10-10-2020

दिनांक 09/10-10-2020 को रात्रि थाना आशियाना 01, महानगर 04 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 उत्तरी।

सट्टा खेलते समय गिरफ्तार।

थाना गाजीपुर:—दिनांक 09-10-2020 को आरक्षी राजीव यादव थाना गाजीपुर लखनऊ द्वारा अभियुक्त 01—अरविन्द सिंह पुत्र महेश प्रसाद निवासी बड़ी जुगौली थाना गोमती नगर लखनऊ को सट्टा पर्ची द्वारा सट्टा खेलते/खिलवाते समय हद मॉडल शॉप के सामने कैलाश कुंज गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अद्द मोबाइल जिसमें सट्टा पर्ची व 250/-रूपये नकद बरामद कर थाना गाजीपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना विभूतिखण्ड:—दिनांक 10-10-2020 को थाना विभूतिखण्ड लखनऊ द्वारा बताया गया कि वादी श्री राजेश तिवारी निवासी 3/245 विराजखण्ड, विभूतिखण्ड लखनऊ ने थाना विभूतिखण्ड पर सूचना दिया कि आज दिनांक 10-10-2020 को प्रातः वादिनी की पत्नी श्रीमती सुनीता तिवारी घर के बगल में स्थित पार्क में जल चढ़ाने के लिए गयी थी पार्क में मौजूद एक व्यक्ति जो कि सरदार की तरह था, ने वादी की पत्नी के पास आकर पहने हुऐ गहने 02 सोने की अंगूठी, एक सोने की चैन, 02 सोने की चूड़ी निकलवां लिया और कहा कि मैं पुलिस वाला हूँ इलाके में चोरी हो रही है और बदले में एक कागज की पुड़िया देकर धमकी देते हुए पार्क के बाहर अपाची मोटर साइकिल पर खड़े एक व्यक्ति के साथ भाग गया। इस सूचना पर थाना विभूतिखण्ड पर मु0अ0सं0 434/2020 धारा 420/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री सुनील कुमार मौर्या मो0नं0 द्वारा की जा रही है।

थाना काकोरी:—दिनांक 10-10-2020 को थाना काकोरी द्वारा बताया गया कि वादी श्री संतोष कुमार पुत्र श्री चन्द्रपाल निवासी ग्राम सन्यासीबाग मजरा कनार थाना मलिहाबाद लखनऊ ने थाना काकोरी पर सूचना दिया कि आज दिनांक 10-10-2020 को समय करीब 05.00 बजे प्रातः वादी की बहन कु0 खुशी गौतम उर्फ आराधना उम्र करीब 18 वर्ष पुत्री चन्द्रपाल व कु0 प्रिया उम्र करीब 16 वर्ष पुत्री श्री सन्तोष कुमार व कु0 पंकी गौतम उम्र करीब 17 वर्ष पुत्री स्व0 रामचन्द्र निवासी उपरोक्त घर से टहलने के लिए लखनऊ—हरदोई राज्य मार्ग के किनारे निकली थी कि शिवदयाल के घर से लगभग 50 मीटर दूर किसी ट्रक चालक नाम पता अज्ञात द्वारा ट्रक को लापरवाही से चलाकर उपरोक्त तीनों लड़कियों को टक्कर मार दिया, जिनको गम्भीर रूप से घायल अवस्था में ट्रामां सेन्टर लखनऊ में भर्ती कराया गया जहाँ पर इलाज के दौरान 01—प्रिया उम्र करीब 16 वर्ष व खुशी गौतम उर्फ आराधना उम्र करीब 18 वर्ष की मृत्यु हो गयी है। इस सूचना पर थाना काकोरी मु0अ0सं0 550/2020 धारा 279/338/304ए भादवि पर अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री अवधेश कुमार 7007364328 द्वारा की जा रही है।